



2026:AHC:4250

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 23 वर्ष 2026

आयुष कुमार विश्वकर्मा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अखिलेश यादव, राम प्रसाद दूबे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद दुबे, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह और प्रतिवादी संख्या 2 के लिए श्री अजय कुमार गौतम (एओआर संख्या ए/ए 0197/12) के तर्कों को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसने सीआरपीएफ में कांस्टेबल जी.डी. के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि चयन तो हो गया है, लेकिन उसे इस आधार पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है कि उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0048/2014 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 352, 323, 504, 506 और 395 के तहत एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक मामला लंबित है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि महाराजगंज के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

3. इस रिट याचिका में चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने और नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के समक्ष अपना दावा उठा सकता है।

5. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत निवेदन और रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपनी शिकायत प्रस्तुत करे। प्रतिवादी इस निवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और उसके बाद याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क करेगा, जो याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार सख्ती से आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विचार करेगा।

8 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।